रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234823
CG-DL-E-04042022-234823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
No. 246] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. 258(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संगीत और नाट्य प्रभाग (उप निदेशक और सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध उपनिदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो (संगीत और नाट्य प्रभाग) में उपनिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक संपर्क और संचार (संगीत और नाट्य प्रभाग) ब्यूरो,उप निदेशक भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदिः उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातों वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तयों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदोंकी संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन पे मैट्रिक्स में**	**चयन पद/अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक	5 (2022) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	**साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय**	स्तर-11 (67700-208700 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा कीअवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) में ऐसे सहायक निदेशक	**<u>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नतिके संबंध में विचार करने</u>**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा

जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संगीत नाटक अकादमी,ललित कला अकादमी, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रसे सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का अनिवार्यप्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्हेांने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार कया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रतासेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनीपरिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100 से 177500 रु.) या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाट्यशाला कला में डिग्री या डिप्लोमा; (iii) राष्ट्रीयनाट्य विद्यालय या संगीत नाटक अकादमी या ललित कला अकादमी या सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र से मंच नाटकों, नृत्य-नाट्य, गीत-नाट्य,लोक-नाट्यशाला के निर्माण या निदेशन में पांच वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो। वांछनीय: मंच नाटकों या नृत्य-नाट्य या लोक-नाट्यशाला के बारे में कथा लेखन का अनुभव। टिप्पणी1.-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -**1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, - (अध्यक्ष) 2. महानिदेशक, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो - (सदस्य) 3. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय- (सदस्य) विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिदेशक, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो- (अध्यक्ष) 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय -(सदस्य) 3. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम), लोक संपर्क और संचार ब्यूरो - (सदस्य)	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पणी 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[एम-27011/2/2019-एमयूसी-II]
विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Song and Drama Division (Deputy Director and Assistant Director) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Deputy Director, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Bureau of Outreach and Communication (Song and Drama Division) under the Ministry of Information and Broadcasting namely:-

1. Short title and commencement, - (1) These rules may be called the Bureau of Outreach and Communication (Song and Drama Division), Deputy Director Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post / non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director	5 (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group ‘A’, Gazetted, Non-ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700).	Selection post	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	2 years	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<u>Promotion:</u> Assistant Director in Level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with **six** years of regular service rendered after appointment thereto on a regular basis and has successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in the relevant areas from National School of Drama, Sangeet Natak Academy, Lalit Kala Academy, Centre for Cultural Resources and Training. **Note.** Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or recognized Universities or recognized Research Institutes or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organizations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in Level-10 (Rs. 56100- Rs. 177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:	<u>Departmental Promotion Committee (For considering promotion) Consisting of:-</u> 1.Chairman/ Member Union Public Service Commission - (Chairman) 2. Director General, Bureau of Outreach and Communication - (Member) 3. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- (Member) <u>Departmental Confirmation Committee</u> <u>(For considering confirmation) Consisting of:-</u> 1. Director General, Bureau of Outreach and Communication- (Chairman) 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - (Member) 3. Additional Director General (Programme), Bureau of Outreach and Communication - (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(i) Degree from a recognized University or Institute; (ii) Degree or Diploma in Theatre Arts from a recognized University or Institute; (iii) Five years experience in producing or directing stage plays, dance-dramas, operas, folk theatre from National School of Drama or Sangeet Natak Academy or Lalit Kala Academy or Centre for Cultural Resources and Training; and (iv) must have passed Hindi as a subject in 10th standard. **Desirable:** Experience of writing scripts for stage plays or dance-dramas or folk theatre. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years as on the last date of receipt of applications. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

[M-27011/2/2019-MUC-II]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.04.04 22:38:06 +05'30'